नगरीय जलप्रदाय परिदृश्य पर इटारसी में आयोजित

संवाद की संक्षिप्त रपट

मंथन अध्ययन केन्द्र एवं **उपभोक्ता संरक्षण मंच** (इटारसी) द्वारा 3 फरवरी 2015 को इटारसी में आयोजित संवाद में नगरीय जलप्रदाय परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं यथा नगरपालिका द्वारा जलप्रदाय, स्थानीय जलस्रोत, नदियों आदि पर चर्चा कर यूआईडीएसएसएमटी के तहत जारी इटारसी की नई जलप्रदाय योजना को समझने का प्रयास किया गया। संवाद में इटारसी और आसपास के स्वयंसेवी समूहों, वरिष्ठ नागरिक समूहों, महिला समूहों, बुध्दिजीवी वर्ग के प्रतिनिधियों समेत नगर के कोई 80 नागरिक उपस्थित थे। स्थानीय प्रतिनिधियों के अलावा खण्डवा, पिपरिया, होशंगाबाद, भोपाल, शिवपुरी आदि स्थानों के कार्यकर्ता भी शामिल थे। संवाद के आयोजन को क्षेत्र के 19 स्वयंसेवी समूहों द्वारा समर्थन दिया गया था। संवाद के अंत में निर्णय लिया गया कि स्थानीय नागरिकों की एक समिति बनाकर इटारसी जलप्रदाय योजना के प्रभावों से स्थानीय नागरिकों को परिचित करवाया जाएगा।

संवाद
3 फरवरी 2015, मंगलवार
पत्रकार भवन, इटारसी (म.प्र.)

उल्लेखनीय है कि करीब एक लाख की आबादी वाले इटारसी में केन्द्र सरकार प्रवर्तित यूआईडीएसएसएमटी के तहत एक नई जलप्रदाय योजना का निर्माण अक्टूबर 2009 से जारी है। डेढ़ वर्षों में पूर्ण होने वाली यह योजना अभी तक साढ़े पॉंच वर्षों में भी पूरी नहीं हो पाई है। इटारसी में वर्तमान मे बोरवेल के माध्यम से जलप्रदाय तंत्र संचालित है। प्रबंधन की समस्या के कारण नगर में जलप्रदाय में असमानता है लेकिन जल उपलब्धता की समस्या नहीं है। नई योजना के पक्ष में माहौल बनाने हेतु वर्तमान जलप्रदाय तंत्र को बहुत पुराना तथा मरम्मत के अभाव में अप्रभावी बताते हुए इसे बंद कर 13 किमी दूर तवा नदी से पानी लाने की योजना बनाई गई है। राजनैतिक और प्रशासनिक दूरदर्शिता के अभाव में योजना लगातार पिछड़ती जा रही है। तकनीकी एवं व्यावहारिक पहलुओं की उपेक्षा के कारण निर्माण की गति और स्तर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खबरों के अनुसार नवगठित नगरपालिका परिषद की अगली बैठक में जलदर वृध्दि का प्रस्ताव लाया जाना है।

स्थानीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रो. कश्मीरसिंह उप्पल ने परिचय सत्र के दौरान संवाद कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए कहा कि देश के संविधान में पानी जीने के अधिकार में शामिल है लेकिन अब इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। हमारी प्यास को निजी कंपनियों के ब्यापार का साधन बनाने का खतरनाक प्रयास जारी है इसलिए हमें सतर्क रहने की जरुरत है।

जन पहल के श्री योगेश दीवान ने सतही जलस्रोतों में जल उपलब्धता तथा उनमें प्रदूषण के संदर्भ में इनसे जलप्रदाय योजना संचालित किए जाने को भविष्य के लिए अनुपयुक्त बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर बनाई जा रही

जलप्रदाय योजनाएँ या तो स्थानीय जरुरतों के हिसाब से नहीं है या फिर अनावश्यक है। उन्होंने नागरिकों का आव्हान किया कि वे इन योजनाओं की सच्चाई को समझें और इसके गरीब विरोधी प्रावधानों को बदलवाने की मुहिम चलाएँ। उन्होंने बताया कि नए ऑंकड़ों के अनुसार नर्मदा में पानी की मात्रा और उसकी गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो रही है। श्री राहुल श्रीवास्तव ने बदलते दौर में संसाधनों पर से समाज का नियंत्रण खत्म होने पर चिंता जताई।

संवाद
3 फरवरी 2015, मंगलवार
पत्रकार भवन, इटारसी (म.प्र.)
● मंथन अध्ययन केन्द्र, बड़वानी ● उपभोक्ता संरक्षण मंच, इटारसी

मंथन अध्ययन केन्द्र के श्री रेहमत ने बताया कि 13.81 करोड़ की योजना का टेण्डर 26.11 करोड़ का स्वीकृत कर लिया गया लेकिन शेष लागत राशि का प्रबंध नहीं हो पाने के कारण योजना का काम शुरु होने के पूर्व ही टेण्डर की समयसीमा खत्म हो गई थी। ठेकेदार और नगरपालिका के बीच विवाद बढ़कर उच्च न्यायालय तक पहुँचा। बाद में काम प्रारंभ हुआ लेकिन टेण्डर की शर्तो के अनुसार इसमें गति नहीं आ पाई। डेढ़ वर्षो में यह योजना बनकर तैयार हो जानी चाहिए थी लेकिन इस अवधि में 20 प्रतिशत काम भी पूरा नही हो पाया। ठेकेदार कंपनी को अब तक 4 बार समयवृध्दि दी जा चुकी है लेकिन काम कब पूरा होगा यह कोई नहीं जानता है। योजना में पर्याप्त मात्रा में वितरण लाईनों का प्रावधान नहीं होने से जलप्रदाय में असमानता दूर होने की संभावना बहुत ही कम है। जलप्रदाय सेवा का उन्नयन गरीब बस्तियों की पहुँच से बाहर ही रहेगा।

मंथन अध्ययन केन्द्र के श्री गौरव द्विवेदी ने बताया कि यूआईडीएसएसएमटी की शर्तों के कारण इन जलप्रदाय योजनाओं का समाज के कमजोर वर्गों पर विपरीत असर पड़ेगा। योजना के तहत प्राप्त धन का उसकी शर्तों के तहत ही उपयोग करना होगा। नगरीय सेवाओं हेतु हस्ताक्षरित रिफार्म एजेण्डे के अनुसार नगरपालिका द्वारा सार्वजनिक नलों की समाप्ति, पूर्ण लागत वसूली और अंतत: जलप्रदाय के निजीकरण से गरीबों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब दुनिया के कई देशों में पेयजल प्रदाय सेवा का निजीकरण समाप्त कर पुनर्निगमीकरण किया जाने लगा है।

खण्डवा के श्री तरुण मंडलोई ने खण्डवा में जारी पानी के निजीकरण विरोधी अभियान की गतिविधियों की चर्चा की। उन्होंने ने पानी के निजीकरण से नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभावों जैसे जल दर वृध्दि, जलप्रदाय तंत्र पर निजी नियंत्रण, सार्वजनिक कुओं-ट्यूबवेलों के उपयोग से नागरिको को रोका जाना आदि का भी उल्लेख किया। शिवपुरी के श्री मनोज भदौरिया ने शिवपुरी की जलप्रदाय योजना के निर्धारित समय से साढ़े तीन वर्ष पिछड़ने का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना का काम कब पूरा होगा कोई नहीं जानता है। उन्होंने बताया कि नगर के अधिकांश नागरिक योजना की शर्तों और निजी कंपनी

से हुए अनुबंध से अनजान हैं। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में खण्डवा और शिवपुरी की योजनाओं का पीपीपी के तहत 25 वर्षों के लिए निजीकरण किया गया है। शिवपुरी में वही दोशियन लिमिटेड काम कर रही है जो इटारसी की योजना का निर्माण कर रही है।

चर्चा सत्र में अनेक नागरिकों ने योजना के बारे में तथ्य तथा अपने विचार रखे। कई स्थानीय नागरिकों को योजना की ताजा स्थिति की जानकारी संवाद के दौरान ही मिली। नागरिकों ने योजना की शर्तों सार्वजनिक न किए जाने तथा निर्णय प्रक्रिया में आम नागरिकों को शामिल नहीं किए जाने को गंभीरता से लिया। उल्लेखनीय है कि योजना से संबंधित बड़े एवं महत्तवपूर्ण निर्णयों को नागरिक तो दूर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों तक अलग रखा गया है और ये निर्णय नगरपालिका की अध्यक्षीय परिषद में लिए गए हैं जो कानूनी और नैतिक दोनों दृष्टि से उचित नहीं है।

नागरिको ने व्यक्त किया कि नगरविकास की योजनाओं का भार अंततः नागरिकों को उठाना पड़ता है अतः इन योजनाओं की जन निगरानी जरुरी है। इटारसी की जलप्रदाय योजना के बारे में जनजागृति हेतु एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया। **उपभोक्ता संरक्षण मंच** के श्री राजकुमार दुबे ने बताया कि समिति में नगर के समस्त नागरिक समूहों और प्रबुध्दजनों को जोड़ा जाएगा। संवाद में शामिल प्रतिभागियों का आभार श्री बी. बी. गाँधी ने माना।

* * *